(17)

पिल

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक एक/2014 निगरानी R 2524 I 14

धमेन्द्र जैन पुत्र स्व0 निर्मल कुमार जैन
निवासी वार्ड नं0–1 फीगंज रेलवे फाटक
के सामने गंजबासौदा जिला – विदिशा

विरूद्ध

1- श्रीमती कल्पना पत्नी विनय कुमार जैन
निवासी चंन्दा स्वीटस के सामने जैनद मंदिर के पास
अशोंका गार्डन भोपाल

2. शांतिबाई पत्नी स्व0 निर्मलकुमार जैन
फीगंज रेलवे फाटक के सामने गंज बासौदा
जिला– विदिशा

3. मध्यप्रदेश शासन

श्री एस० के० वाजपेयी, अभि०
द्वारा आज दि. 11-8-14 को
प्रस्तुत
11-8-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2524–एक/14 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–09–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0वाजपेयी, उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय तहसील अम्बाह जिला मुरैना के प्र0क0 01/अ–11/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04–06–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 4–6–14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–12–13 के कियान्वयन के संबंध में दिया गया है । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 53/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 23–6–14 की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई है जिसमें तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–12–13 का कियान्वयन स्थगित किया गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में इस निगरानी का अंतिम निराकरण इसी स्तर पर इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें तथा स्थगन आदेश प्राप्त होने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष प्रकरण में की जा रही कार्यवाही स्थगित करें। प्रशासकीय सदस्य	